



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

sdmjramgarh@gmail.com

क्रमांक / एलआर / 2022 / 1079

दिनांक: 28/07/2022

श्रीमान्

अति. जिला कलेक्टर प्रथम

एवं प्रभारी अधिकारी,

राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।

विषय— Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas Toda Meena, Tala Jaichandpura, Gathwari Bobari Under PMGSY-III District Jaipur (Raj.) सडक मे आने वाली भूमि वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग— श्रीमान का पत्रांक आर-1/2022/डायवर्जन-जमवारामगढ/4465 दिनांक 30 जुलाई, 2022 की अनुपालना मे।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas Toda Meena, Tala Jaichandpura, Gathwari Bobari Under PMGSY-III District Jaipur (Raj.) सडक मे आने वाली भूमि वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे ग्राम दांतली तहसील आंधी के खसरा नम्बर 319/128 रकबा 25.25 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड मे से 4.584 हैक्टेयर भूमि का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु तहसीलदार आंधी से तैयार करवाकर दो दो प्रतियों मे मय अभिशंषा अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(चिम्न लाल मीना)

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ

संलग्न: उपरोक्तानुसार

o/c



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

sdmjramgarh@gmail.com

क्रमांक / एलआर / 2022 /

दिनांक:

श्रीमान्

अति. जिला कलेक्टर प्रथम

एवं प्रभारी अधिकारी,

राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।

विषय— Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas Toda Meena, Tala Jaichandpura, Gathwari Bobari Under PMGSY-III District Jaipur (Raj.) सड़क में आने वाली भूमि वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग— श्रीमान का पत्रांक आर-1/2022/डायवर्जन-जमवारामगढ़/4465 दिनांक 30 जुलाई, 2022 की अनुपालना में।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas Toda Meena, Tala Jaichandpura, Gathwari Bobari Under PMGSY-III District Jaipur (Raj.) सड़क में आने वाली भूमि वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 4.584 हैक्टेयर वन विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ग्राम दांतली तहसील आंधी के खसरा नम्बर 319/128 रकबा 25.25 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड में से 4.584 हैक्टेयर भूमि का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु तहसीलदार आंधी से तैयार करवाकर दो दो प्रतियों में मय अभिशंषा अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(चिमन लाल मीना)

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ़

क्रमांक / एलआर / 2022 / 1079

प्रतिलिपि : श्रीमान् उपवन संरक्षक उत्तर, वन विभाग जयपुर को सूचनार्थ।

दिनांक: 2.8.2022

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ़

जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

राजकीय विभागों को भूमि आवंटन की निर्धारित चेकलिस्ट

- क आवश्यक दस्तावेज प्राप्त जवाब का विवरण
- रा
- राजकीय विद्यालय/विभाग/ संस्था इत्यादि का नाम
 - भूमि आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)
 - क्या इसी प्रयोजन के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है? यदि हाँ तो उसका विवरण अंकित करें।
 - क्या संस्था राज्य सरकार से स्वीकृत है अथवा नहीं?
 - वर्तमान में संस्था कहीं व किस स्थान/ग्राम में कितनी भूमि पर संचालित है?
 - भूमि आवंटन के संबंध में राजकीय विभाग/ विद्यालय का मांग पत्र प्रस्ताव में शामिल है अथवा नहीं?
 - संस्था/विभाग के पास वर्तमान में कितनी भूमि उपलब्ध है? क्या उक्त भूमि संस्था को आवंटित है?
 - क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है?
 - प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है?
 - प्रस्तावित की गई भूमि के संबंध में 1983 के नियम-2 के अंतर्गत भूमि आवंटन के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?
 - विभाग की हारा कोई मानदण्ड निर्धारित/निर्धारित किए गए हैं तो उसका विवरण
 - मानदण्डों से अधिक भूमि चाहें जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य
 - प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत का निरापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक सहित) प्रस्ताव में संलग्न है अथवा नहीं?
 - प्रस्तावित भूमि पर यदि निगम हो चुका है तो निगम कितने क्षेत्रफल में है?
 - आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का विवरण
 - (1) ग्राम का नाम
 - (2) ग्राम पंचायत का नाम
 - (3) खसरा नंबर
 - (4) खसरा नंबर
 - (5) खसरा नंबर का कुल क्षेत्रफल
 - (6) भूमि की किरम
 - (7) प्रस्तावित क्षेत्रफल
 - (8) जमीनदात्री व खसरा नवशा की प्रति संलग्न है अथवा नहीं?
 - (9) प्रस्तावित भूमि खसरा नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित की हुई है अथवा नहीं?
 - (10) प्रस्तावित भूमि में पड़ने वाले भाग हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? यदि रास्ता उपलब्ध है तो भू रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकित किया गया है अथवा नहीं?
 - (11) प्रस्तावित खसरा नंबर में पूर्व में आवंटित भूमियों की तरफों की जा चुकी है अथवा नहीं? तरफों से शेष है तो कारण स्पष्ट करें।
 - (12) प्रस्तावित भूमि ग्राम की मुख्य आबादी से कितनी दूरी पर स्थित है।

वन विभाग

शान्ति प्रति हेतु

नहीं

हाँ

शान्ति प्रति के लिए

हाँ

209.52 हे०

लागू नहीं

लागू नहीं

— NA

— NA

— NA

NA

नहीं

हॉटेली

आँधी गावनी

319/128

25.25 हे० 319/128

मे.क. 5815

संलग्न है 4.584 हे०

उपस्थिति की हुई है

रिकार्डेड रास्ता नहीं है

हाँ

लगावा नहीं है (आफनी दे प्रस्तावित भूमि 250 मीटर दूर है)

02.8.22
प्र. गावनी

प्र. गावनी

उपस्थिति अंकित
जनपद नक्शा

15. प्रस्तावित भूमि यदि विद्यालय के खेल क्षेत्र से किन्तु दूरी पर स्थित है।

16. प्रस्तावित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं ?

16. यदि प्रस्तावित भूमि बरागाह है तो
- (1) ग्राम की पशु चरवाहा कितनी है ?
 - (2) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम उपलब्ध बरागाह भूमि।
 - (3) पशुओं के अनुपात में क्या बरागाह भूमि पर्याप्त है अथवा नहीं ?
 - (4) यदि नहीं तो बरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था।

- (5) बरागाह भूमि आवंटन के संबंध में माठ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा बरागाह भूमि आवंटन / आश्रय पर रोक लगाई हुई है। यदि प्रस्तावित भूमि बरागाह है तो इसकी क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायक भूमि के प्रस्ताव उक्त आवंटन प्रस्ताव की साथ संलग्न है अथवा नहीं ?
- (6) बरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायक भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस आशय का प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी की ओर से बाद जॉय प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे।

17. प्रस्तावित भूमि आवंटन के संबंध में पटवारी की मौका शीट संलग्न है अथवा नहीं ?

- (1) प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति
- (2) प्रस्तावित भूमि के संबंध में माठ न्यायालय में विचारधीन वाद / स्थगन एवं अन्य विवाद की स्थिति।

(3) प्रस्तावित भूमि नदी / नाला / जलग्रहण क्षेत्र के केचमेन्ट एरिया / बहाव में स्थित है अथवा नहीं ?

(4) क्या प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित है अथवा नहीं ?

4-ए प्रस्तावित भूमि गणकी मन्दिर में तो नहीं है।

(5) प्रस्तावित भूमि नगर नियम / नगरपालिका की सीमा / पब्लिक सीमा / मास्टर प्लान में तो नहीं है ?

(6) प्रस्तावित भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है ?

(7) प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा सस्ता, शम्भान, काब्रिस्तान आदि के उपयोग में तो नहीं आ रही है ?

(8) क्या प्रस्तावित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ पूर्व में आरक्षित / अवलोकनीय है अथवा नहीं ?

(9) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं ?

(10) प्रस्तावित भूमि रेलवे लाइन / राष्ट्रीय राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड / ग्रामीण सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है ?

(11) विद्युत कम्पनियों / निगमों की भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है तो प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसीएड पर क्या है ?

(12) प्रस्तावित भूमि पर यदि हरे वृक्ष लगे हुए हैं तो वृक्षों की संख्या / वृक्षों की अनुमानित आयु / वृक्षों की किस्म का उल्लेख किया जावे।

(13) उपखण्ड अधिकारी को स्पष्ट अभिराश।

नहीं

उपयुक्त है।

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

संलग्न है।

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं 50 K.M

नहीं

नहीं

नहीं

01 KM

नहीं

नहीं

सासवर्जन के लिए उपयुक्त है।

क. प्र. म. म.

02.8.22
ए. ए. म. म.

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी